



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

सीबीएसई/समन्वय/पीआरडीएफ/कक्षा-XII/2025-26

दिनांक:15.05.2026

विषय: बारहवीं कक्षा, 2025-26 के छात्रों के लिए परिणाम घोषणा के बाद की सुविधा के लिए सूचना

- सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा-2026 के लिए बारहवीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) की शुरुआत की थी। ओएसएम के प्रमुख लाभों में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - **गोपनीयता बनाए रखना:** उत्तर पुस्तिका की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखी जा सकती है।
 - **त्रुटि-मुक्त मूल्यांकन:** अंकजोड़, पोस्टिंग और अपलोडिंग त्रुटियों को समाप्त करता है।
 - **पूर्ण मूल्यांकन:** यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक उत्तर का मूल्यांकन अंकन योजना के अनुसार किया जाए।
 - **मानवीय हस्तक्षेप में कमी:** मैनुअल हैंडलिंग को कम करता है।
 - **दक्षता लाभ:** परीक्षकों के लिए समय और प्रयास बचाता है और इस प्रकार दक्षता में सुधार होता है।
 - **पर्यावरण-अनुकूल डिजिटल प्रक्रिया:** पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए कागज रहित मूल्यांकन को बढ़ावा देता है। उत्तर पुस्तिकाओं का कोई भौतिक स्थानांतरण नहीं।
 - **पारदर्शिता और जवाबदेही:** छात्रों, अभिभावकों और संस्थानों के बीच विश्वास पैदा करता है।
 - **अनुमापकता:** सीबीएसई को लाखों उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है।
- सीबीएसई ने अपने सभी हितधारकों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश साझा किए थे और मूल्यांकन में शामिल शिक्षकों को अभ्यास सत्र प्रदान किए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किया गया मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ, सही और त्रुटि मुक्त है।
- यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इतने सारे कदम उठाने के बाद भी छात्र अपने घोषित प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं।
- ऐसे में सीबीएसई छात्रों को अपनी स्कैन की गई उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने और स्वयं जांच करने की सुविधा प्रदान कर रहा है।
- छात्रों को वांछित विषयों की स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाएं प्रदान की जाएंगी, और वे अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर सकते हैं और सीबीएसई को सूचित कर सकते हैं यदि उन्हें कोई चिन्हित समस्या मिलती है।
- 2026 में, परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए दी गई सुविधाओं के चरण इस प्रकार होंगे: -



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

(क) चरण -1 - छात्र वांछित विषय (विषयों) की स्कैन की गई उत्तर पुस्तिका के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

(ख) चरण -2 - छात्र निम्नलिखित के लिए आवेदन कर सकते हैं: -

- (i) प्रेक्षित मुद्दों का सत्यापन, (यदि कोई हो)
- (ii) उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन

7. इन सुविधाओं का लाभ उठाने वाले छात्रों से अनुरोध है कि वे बाद में किसी भी असुविधा से बचने के लिए किसी भी कदम के लिए आवेदन करने से पहले दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी अनुलग्नक-III में संलग्न हैं।

8. सामान्य दिशानिर्देश

- (क) अनुरोध करने और प्रसंस्करण शुल्क के भुगतान की पूरी प्रक्रिया "ऑनलाइन" है। निर्धारित तिथि और समय के बाद और ऑफ़लाइन मोड में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (ख) प्रोसेसिंग शुल्क केवल ऑनलाइन (क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग) में जमा किए जा सकते हैं। प्रोसेसिंग शुल्क पोस्टल ऑर्डर/डीडी/मनी ऑर्डर/चेक/कैश आदि के माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- (ग) सीबीएसई द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार जमा नहीं किए गए आवेदनों को उम्मीदवार के साथ किसी भी पत्राचार के बिना सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- (घ) ऑनलाइन प्रक्रिया में प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवार को अग्रिम रूप से यह बताना होगा कि उसे एक विषय या कई विषयों के लिए आवेदन करना है या नहीं। एक बार आवेदन करने के बाद, कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा।
- (ङ) बोर्ड अपने नियंत्रण से परे कारणों से मार्क (निशानों) के संशोधन या प्रक्रिया में देरी के कारण किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- (च) अंकों में एक (01) अंक की कमी भी प्रभावित होगी।
- (छ) ऐसे मामलों में जहां अंकों में परिवर्तन होता है (वृद्धि और कमी दोनों), ऐसे उम्मीदवारों को मार्क स्टेटमेंट सह प्रमाण पत्र सरेडर करना होगा जो उनके कब्जे में है। इसके बाद, उन्हें एक नया मार्क स्टेटमेंट सह प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

9. मूल्यांकन की गई स्कैन की गई उत्तर पुस्तिका की प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन

- (क) पहले चरण में मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई प्रति के लिए अनुरोध करना शामिल है।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

- (ख) कक्षा- XII के लिए प्रसंस्करण शुल्क और सारणी अनुलग्नक-1 में दी गई है (क)।
- (ग) आवेदन केवल उम्मीदवार द्वारा किया जाना चाहिए। इसे किसी भी तरह से किसी अन्य के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें "साइबर कैफे" भी शामिल है। यह सुनिश्चित करना उम्मीदवार की जिम्मेदारी होगी कि आवेदन सही ढंग से किया गया है।
- (घ) आवेदकों को उनके लॉगिन में उत्तर पुस्तिका की एक स्कैन की गई प्रति प्रदान की जाएगी, जहां से वे इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
- (ङ) उत्तर की स्कैन की गई प्रति उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर बुक करें, जिसका अर्थ है कि यदि किसी उम्मीदवार ने आवेदन की पहली तारीख को आवेदन किया है, तो आवेदक को पहले स्कैन की गई प्रति प्राप्त होगी, और इसी तरह आगे भी।
- (च) उम्मीदवार उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति के लिए आवेदन करते समय एक या एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन करने का विकल्प चुन सकता है। हालाँकि, आवेदन केवल एक बार में करना होगा न कि भागों में।
- (छ) यदि उम्मीदवार किसी विशेष विषय में दिए गए अंकों को चुनौती देना चाहता है, तो उम्मीदवार को पुनर्मूल्यांकन के अगले चरणों के लिए आवेदन करना पड़ सकता है।

केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई प्रति के लिए आवेदन किया है, वे अगले चरण के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

(II) प्रेक्षित मुद्दों का सत्यापन और/या मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन

- (क) केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी के लिए आवेदन किया है, वे प्रेक्षित मुद्दों के सत्यापन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे और / या किसी भी प्रश्न (प्रश्नों) को दिए गए अंकों को चुनौती देंगे।
- (ख) आवेदक को संबंधित विषय में अंकन योजना का उल्लेख करना होगा, जो प्रश्न-पत्र के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इसके बाद, उम्मीदवार तर्क के साथ आवश्यक प्रश्न (प्रश्नों) में पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं।
- (ग) किए गए अनुरोधों की स्थिति अपलोड की जाएगी और उम्मीदवार के लॉगिन विवरण पर उपलब्ध होगी।
- (घ) एक अंक की कमी भी प्रभावित होगी।
- (ङ) पुनर्मूल्यांकन का परिणाम अंतिम होगा, और पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ कोई अपील या समीक्षा पर विचार नहीं किया जाएगा।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

उपरोक्त सभी मामले में, दिए गए अंकों पर बोर्ड का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा।

आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्रदान की जाएगी। हालांकि, पुनर्मूल्यांकन या शिकायत निवारण के लिए अनुरोध आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है और इस पर विचार नहीं किया जाएगा।

ह/-

(डॉ. संयम भारद्वाज)

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि: वेब-एडमिन से अनुरोध है कि इसे सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड करें

अनुलग्नक -I (क)

मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने, मुद्दों के सत्यापन और या पुनर्मूल्यांकन के लिए सारणी उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (2025-2026)			
क्र.सं.	गतिविधि	अवधि	शुल्क
1	मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करना		
	ऑनलाइन आवेदन करना	19.05.2026 से 22.05.2026 मध्य रात्रि 11:59:59 तक	रु.700/- प्रति विषय स्कैन कॉपी
2	1. प्रेक्षित मुद्दों का सत्यापन 2. पुनर्मूल्यांकन		
	ऑनलाइन आवेदन करना	26.05.2026 से 29.05.2026 मध्यरात्रि 11:59:59 तक	1. प्रेक्षित मुद्दों को सत्यापन के लिए रु.500 /- प्रति उत्तर पुस्तिका 2. पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न रु.100/-

टिप्पणी:- छुट्टियों में भी ऑनलाइन प्रक्रियाएं पूरी की जा सकती हैं।

टिप्पणी: आपके द्वारा जो भी जानकारी प्रदान की जाती है, उसकी जांच विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी और यदि यह पाया जाता है कि आपकी जानकारी सही है तो उसे ठीक कर दिया जाएगा, अन्यथा नहीं।

साथ ही सीबीएसई का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

पुनर्मूल्यांकन के दृष्टिकोण के लिए, निम्नलिखित सुझावात्मक कदम हैं: -

क. प्रश्न-पत्र सीबीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

ख. प्रश्न पत्रों के प्रत्येक सेट की अंकन योजना सीबीएसई की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

यह जांचने के लिए कि आपका मूल्यांकन सही है आपको क्या करना होगा:-

1. परीक्षा में आपको दिए गए प्रश्न-पत्र के सेट की अंकन योजना का प्रिंटआउट लें। प्रश्न-पत्र और अंकन योजना अपने पास रखें।
2. कृपया अंकन के आधार पर अपनी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करें। यदि आप एक गलती देखते हैं, तो कृपया स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि किसी विशेष प्रश्न योजना में अंकन योजना से मेल खाने वाले उत्तर के बावजूद अंक नहीं दिए गए हैं, या कोई अंक नहीं दिया गया है, भले ही उत्तर अंकन योजना के समान हो।
3. यदि आप कुछ अधिक कहना चाहते हैं, तो कृपया इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।
4. छात्रों को जानकारी इस तरह से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है कि इसे आसानी से समझा और चिन्हित किया जा सके ताकि आपके अनुरोध पर उचित कार्रवाई की जा सके।

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
सीबीएसई ओएसएम और परिणाम के बाद की सुविधाएं (कक्षा XII, 2026)

क्र.सं.	अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न	हल
1.	ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) क्या है?	ओएसएम एक डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली है जहां शिक्षक भौतिक रूप के बजाय कंप्यूटर स्क्रीन पर स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं का आकलन करते हैं
2.	ओएसएम के क्या लाभ हैं?	• अंक जोड़े, पोस्टिंग, अपलोड त्रुटियां को समाप्त करता है • उत्तर पुस्तिकाओं का पूर्ण मूल्यांकन सुनिश्चित करता है • मैनुअल कार्य और मानवीय हस्तक्षेप कम करता है • समय और प्रयास बचाता है • पारदर्शिता और पर्यावरण के अनुकूल डिजिटल प्रक्रियाओं को बढ़ावा देता है
3.	सीबीएसई ने शिक्षकों को ओएसएम के लिए कैसे तैयार किया?	सीबीएसई ने विस्तृत दिशा-निर्देश, अभ्यास सत्र प्रदान किए और अंकन योजनाओं पर चर्चा की। मूल्यांकन शुरू होने से पहले मूल्यांकनकर्ताओं के काम की जांच की गई थी ताकि सटीकता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।
4.	परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों को क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं?	सीबीएसई ने दो चरणों वाली सुविधा प्रणाली शुरू की है: (क) चरण -1 - छात्र वांछित विषय (विषयों) की स्कैन की गई उत्तर पुस्तिका के लिए अनुरोध कर सकते हैं। (ख) चरण -2:- छात्र निम्नलिखित के लिए आवेदन कर सकते हैं: - i. प्रेक्षित मुद्दों का सत्यापन, यदि कोई हो ii. उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन
5.	छात्र उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी कैसे प्राप्त कर सकते हैं	• केवल ऑनलाइन आवेदन करें (ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा)

	उनकी उत्तर पुस्तिका का क्या है?	• क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से प्रोसेसिंग शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें। • स्कैन की गई प्रतियां पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उम्मीदवार के लॉगिन में प्रदान की जाएंगी।
6.	छात्र प्रेक्षित मुद्दों (ओं) के सत्यापन के लिए उत्तर (ओं) पुनः मूल्यांकन के लिए कैसे अनुरोध कर सकता है, यदि कोई हो और/या	• केवल ऑनलाइन आवेदन करें (ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है)। • क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से प्रोसेसिंग शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें। • सीबीएसई आवश्यक कार्रवाई करेगा और उसी के निर्णय की सूचना देगा।
7.	उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने पर छात्र द्वारा क्या कार्रवाई की जानी चाहिए?	छात्र द्वारा निम्नलिखित की जांच की जानी चाहिए: - • आपको दी गई उत्तर पुस्तिका सही है और आपकी है। • आपको दी गई उत्तर पुस्तिका में सभी पृष्ठ हैं • आपको दी गई उत्तर पुस्तिका में पूरक प्रति भी है यदि आपने उपयोग किया जाता है • आपको दी गई उत्तर पुस्तिका में ग्राफ है यदि उपयोग किया जाता है • उत्तर पुस्तिका सही ढंग से स्कैन की गई है। • कोई अन्य (कृपया तथ्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें ताकि सीबीएसई इसे सत्यापित कर सके।)
8.	मूल्यांकन के मुद्दों की जांच कैसे करें?	कृपया निम्नलिखित कार्रवाई करें:- • प्रश्न-पत्र की एक प्रति रखें (वेबसाइट पर होस्ट की गई) • अंकन योजना की एक प्रति रखें (वेबसाइट पर होस्ट किया गया) • अंकन योजना की एक प्रति रखें (वेबसाइट पर होस्ट किया गया) • यदि कोई अस्पष्टता है, तो कृपया इसे नोट करें। • अपना अनुरोध सबमिट करते समय सीबीएसई पोर्टल पर इसका स्पष्ट रूप से

		उल्लेख किया जा सकता है।
9.	केवल ऑनलाइन आवेदन करें (ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा)	हां, लेकिन आवेदन एक बार में किया जाना चाहिए। एकाधिक आवेदनों की अनुमति नहीं है।
10.	क्या अंतिम तिथि के बाद अनुरोध किया जा सकता है?	अंतिम तिथि के बाद कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
11.	पुनर्मूल्यांकन के लिए कौन पात्र है ?	केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन किया है, वे पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
12.	पुनर्मूल्यांकन कैसे किया जाता है?	• उम्मीदवारों को आधिकारिक अंकन योजना और प्रश्न-पत्र को देखना चाहिए। • आवेदनों को तर्क सहित चुनौती दिए गए प्रश्न (प्रश्नों) को निर्दिष्ट करना चाहिए। • पुनर्मूल्यांकन के परिणाम (अंक में वृद्धि या कमी) अंतिम और बाध्यकारी हैं।
13.	क्या पुनर्मूल्यांकन के बाद अंक कम हो सकते हैं?	हां, एक अंक की कमी भी लागू की जाएगी।
14.	आवेदन कैसे जमा किए जाने चाहिए?	• केवल ऑनलाइन, निर्धारित तिथि और समय के भीतर। • गलत तरीके से या देर से जमा किए गए आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।
15.	पुनर्मूल्यांकन बाद यदि अंक बदल जाते हैं तो क्या होता है?	उम्मीदवारों को अपना मूल मार्क स्टेटमेंट सह प्रमाण पत्र सरेडर करना होगा। एक संशोधित प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
16.	क्या छात्र आरटीआई के तहत उत्तर पुस्तिकाओं का अनुरोध कर सकते हैं?	हां, उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत प्रदान की जा सकती है।
17.	क्या आरटीआई के तहत पुनर्मूल्यांकन या शिकायत निवारण का अनुरोध किया जा सकता है?	नहीं, आरटीआई के अंतर्गत नहीं किए जा सकते हैं